न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:–44 / 2022 दायर दिनांक:–28.03.2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 115

ललिता देवी उम्र 50 साल पत्नि अमरसिंह जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

—————सायला

बनाम

1. होरीलाल उम्र 60 साल पुत्र सिल्ली जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)
2. अमरसिंह उम्र 55 साल पुत्र सिल्ली जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जला करौली (राज0)
3. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली।

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित–1.श्री अशोक नीमनका वकील सायला
2.श्री मुरारी लाल करसोलिया वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायला ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

आराजीयात खसरा न0 3716 रकबा 18 ऐयर, खसरा न0 3719 रकबा 25 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 43 ऐयर स्थित ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में सायला 1/2 हिस्से की एवं गैरसायल स0 1 व 2 के मृतक पिता सिल्ली व हिस्सा 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर सायला खसरा न0 3716 रकबा 9 ऐयर एवं खसरा न0 3719 रकबा 12.5 ऐयर काबिज एवं दाखिल है।

बाका दिनांक 20.03.2022 को सायला अपन[illegible] सार–संभाल कर रही थी, कि गैरसायलान एक राय होकर सायल[illegible] पास काश्त बाबत कम जमीन है। इसलिये आप अप[illegible] हिस्सा [illegible] दे। जिसको सायला [illegible]ना करने पर गैरसायलान नाराज हो गये एवं सायला को [illegible] आम धमकी देने लगे [illegible] हम तम्हारे हिस्से पर जबरन कब्जा करेगें। और तुम्हे काश्त नहीं करने देगें। सायला ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयार किया। मगर गेरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी

अतः प्रार्थना पत्र बाबात अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 3716, 3719 कुल किता 2 रकबा 43 ऐयर वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ से सायला को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे आराजीयात में कोई निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी नं0 1 ता 2 की ओर से जरिये वकालन्तन श्री मुरारी लाल करसोलिया अधिवक्ता ने जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण मे उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई सायल वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया एवं गैरसायलान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभयपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 1262 खसरा नं0 3716, 3719 कुल रकवा 0.43 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉं पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 28.3.22 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

6.6.24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन